अध्याय 3

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

1. कोयला क्षेत्र में उत्पादन और क्षमता बढ़ाने हेतु उपायः

अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि

सीएमपीडीआई गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए नोडल अभिकरण है। सीएमपीडीआई, विभागीय संसाधनों एमईसीएल तथा निविदा के माध्यम से कार्य का निष्पादन करता है। पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान, गैर–सीआईएल/कैप्टिव खनन ब्लॉकों में वास्तविक ड्रिलिंग तथा लक्ष्य और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैः–

गैर सीआईएल/कैप्टिव खनन ब्लॉकों में ड्रिलिंग

(आंकड़े लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि %
2015-16	4.82	2.87	1.77
2016-17	3.48	3.08	7.32
2017-18	4.99	4.86	57.79
2018-19	5.93	4.84	-0.41
2019-20	8.16	6.96	43.80
2020-21	5.66	4.29 (अप्रैल'20-दिसंबर'20)	

टिप्पणी: वर्ष 2020-21 के आंकड़े अनंतिम हैं।

लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कई कारण हैं जिनमें कोविड–19 लॉकडाउन, प्रतिबंधित आवाजाही, कई कोयला ब्लॉक क्षेत्रों में गंभीर कानून तथा व्यवस्था की समस्या, वन अनुमोदन की अनुपलब्धता आदि है।

सीएमपीडीआई ने वर्ष 2017–18 में 4.51 लाख मीटर की विभागीय क्षमता में 11% की वृद्धि सहित वर्ष 2019–20 में लगभग 4.88 लाख मीटर तक वृद्धि की है ताकि सीआईएल तथा गैर–सीआईएल/कैप्टिव ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान, सीआईएल ब्लॉकों में वास्तविक ड्रिलिंग तथा वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान लक्ष्य इस प्रकार हैं:–

गैर सीआईएल/कैप्टिव खनन ब्लॉकों में ड्रिलिंग

(आंकड़े लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि %
2015-16	10.15	7.06	29.54
2016-17	7.20	7.97	12.89
2017-18	7.04	8.48	6.40
2018-19	7.13	8.34	-1.65
2019-20	6.30	5.80	-30.46
2020-21	4.91	3.48 (अप्रै.'20 – दिसं.'21)	

टिप्पणी: वर्ष 2020-21 के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नवीकृत नीति पर जोर देना

देश में कोयला क्षेत्र के लिए 'विजन 2030' में मांग अनुमान तथा सीआईएल की मांग अनुमान के आधार पर वित्त वर्ष 2023–24 तक देश में मांग–आपूर्ति दोनों के अंतर और कोयले के अनावश्यक आयात को कम करने के लिए 1 बि.ट. कोयले का उत्पादन करने हेतु एक रोडमैप तैयार किया गया है। उत्पादन में अनुमानित वृद्धि हासिल करने के लिए सीआईएल ने प्रमुख परियोजनाओं की पहचान की है तथा उससे संबंधित मुद्दों का आकलन किया है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) ने वर्ष 2019–20 में लगातार दूसरे वर्ष में 600 मि.ट. मार्क को क्रॉस कर लिया है। वर्ष 2020–21 में, वार्षिक योजना लक्ष्य 660 मि.ट. पर चिन्हित किया गया है और सीआईएल की 1 बि.ट. योजना के अनुसार वर्ष 2021–22 के लिए अनुमान 740 मि.ट. है। वर्ष 2020–21 की समूह–वार उत्पादन योजना और जनवरी, 20 से नवंबर, 20 के दौरान वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है।

(आंकड़े मि.ट. में)

सीआईएल	2020-21	Jan'20 to Nov'20	2021-22
	ब.अनु.	वास्तविक(अनु.)	अनुमान
मौजूदा और पूर्ण	290.02	276.43	740
चल रही परियोजनाएं	369.88	271.48	
भावी परियोजनाएं	0.1	0.00	
योग:	660	547.91	

सीसीएल में नार्थ करनपुरा, एसईसीएल की कोरबा तथा एमसीएल में आईबी तथा तलचर कोलफील्ड से उत्पादन में व्यापक वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

3. परियोजनाओं को पूर्ण करना तथा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तारः

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

वर्ष 2020 के दौरान, सीआईएल में 34 खनन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा 09 खनन परियोजना पूरी की जा चुकी हैं।

आज की स्थिति के अनुसार, 20 करोड़ रूपये तथा उससे अधिक की लागत वाली 114 चल रही कोयला परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं पूर्णता महत्वपूर्ण बाहरी कारणों पर निर्भर करती है जैसे कि भूमि का अधिग्रहण, हरित मंजूरियां, निकासी अवसंरचना आदि।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं समय पर पूरी हो, सीआईएल ने विभिन्न कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार हैं:–

(क) झारखण्ड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य–प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि अधिप्रमाणिकता में तेजी लाने हेतु राज्य सरकारों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। इसके अलावा कंपनी द्वारा भूमि–स्वामियों को अधिग्रहित भूमि हस्तांतरित करने एवं मुआवजा स्वीकार करने हेतु लगातार मनाया जा रहा है।

(ख) एफसी प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु राज्य सरकारों के साथ सतत समन्वय एवं तालमेल।

(ग) कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कोयला कंपनियों द्वारा राज्य सरकारों के साथ सभी स्तरों पर लगातार बातचीत की जाती है।

(घ) सहायक कंपनी तथा सीआईएल स्तर पर विलंबित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कोयला मंत्रालय तिमाही आधार पर 500 करोड़ से अधिक तथा 3 एम.टी.वाई की क्षमता वाली परियोजनाओं की समीक्षा करता है।

(ङ) परियोजना निगरानी समूह नियमित अंतराल पर राज्य सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है। कोयला मंत्रालय अपनी ओर से वन मंजूरी एवं भूमि के वास्तविक अधिग्रहण हेतु अन्य मंत्रालयों एवं राज्य सरकार के साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर कार्रवाई करता है ।

प्रभावी निगरानी एवं त्वरित और सर्वविदित निर्णय लेने हेतु सीआईएल ने एमडीएमएस पोर्टल तैयार किया है जिसका उद्देश्य प्रत्येक परियोजनाध्खान का विवरण एकत्र करना, निष्पादन का विश्लेषण करना एवं संगत रिपोर्टें तैयार करना है।

इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं की प्रति की निगरानी परियोजना सर्वर पर अपलोड किए गए मास्टर कंट्रोल नेटवर्कों के माध्यम से की जा रही है। बेहतर निगरानी के लिए, इन एमसीएन पर आधारित रिपोर्टों को पावर बीप् सॉफ्टवेयर पर विकसित डेशबोर्ड के माध्यम से सृजित किया जा रहा है।

इसके अलावा कोयला मंत्रालय ने राज्य स्तर तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के पास लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए ई–सीपीएमपी (ऑनलाइन कोयला परियोजना निगरानी पोर्टल) पहले ही स्थापित कर लिया है।

कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सीआईएल ने पहले ही नई परियोजनाएं एवं ओसी पैचेज शुरू कर दी है। इसके अलावा मौजूदा खाना/परियोजनाओं का क्षमता विस्तार ईसी विस्तार अथवा ईपीआर, जहां संभव हो, के माध्यम से करना शुरू किया जा रहा है।

4. कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपाय

वर्ष 2020–21 के दौरान, सीआईएल में परियोजनाओं के चल रहे समूह से 369.88 मि.ट. का उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है। वित्त वर्ष 19–20 की समाप्ति तक कोविड–19 महामारी के प्रादुर्भाव के कारण और वार्षिक रूप से और देश में भारी आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप, देश में विकास दर में कमी आई और देश में कोयले की धीमी मांग देखी गई। तदनुसार, सीआईएल की उत्पादन योजना वित्त वर्ष 20–21 के लिए 660 मि.ट. से 710 मि.ट. तक (1 बि.ट. योजना के अनुसार) पर पुनः कार्य किया जाना था।

सीआईएल के संबंध में, मुख्यतः तीन सहायक कंपनियों अर्थात् एसईसीएल, एमसीएल, और सीसीएल से मौजूदा 112 चल रही परियोजनाओं (30.11.2020 तक) से उत्पादन में वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीआईएल ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- अत्याधुनिक मशीनीकरण, जहां संभव हो, के साथ उच्च क्षमता वाली खानों की योजना बनाई, अनुमोदित और कार्यान्वित की जा रही है।
- भौगोलिक खनन स्थितियों पर निर्भर रहते हुए भूमिगत तथा ओपनकास्ट दोनों खानों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए खानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौजूदा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
- ईपी अधिनियम, 2006 के तहत विशेष प्रयासों से मौजूदा परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि करना।
- मंत्रालयों एवं राज्य सरकार से संबंधित परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों की प्रभावी निगरानी करना एवं संबंधित बातचीत करना।
- भविष्य में उत्पादन एवं निकासी में नियोजित वृद्धि बनाए रखने के लिए सीआईएल ने एसईसीएल, एमसीएल तथा सीसीएल में डिपॉजिट आधार पर (3) तथा जे.वी.(4) के माध्यम से 07 रेल अवसंरचना परियोनाएं शुरू की हैं जिनका निष्पादन भारतीय रेल प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- कोयला मंत्रालय से प्रभावी एवं सतत सहायता।
- उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु सीआईएल की सहायक कंपनियों को अतिरिक्त कोयला ब्लॉकों का आवंटन।
- खान विकासक और प्रचालक माध्यम से प्रचालित की जाने वाले लगभग 158 एमटीवाई क्षमता के साथ 15 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को अभिनिर्धारित किया गया है। 7 ऐसी परियोजनाओं के लिए निविदाओं को पहले ही आमंत्रित कर दिया गया है।
- 49 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को दो चरणों में शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इनमें से, चरण– I में 35 परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2023–24 तक 404.5 मि.ट. क्षमता के साथ कार्यान्वित किया जाना है। सभी 35 परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित कर दी गई है, जिसके लिए 17 परियोजनाओं हेतु एलओए जारी किया गया है। दिनांक 30.12.20 की स्थिति के अनुसार, इन 35 परियोजनाओं में से, 2 परियोजनाओं को शुरू कर दिया गया है और 8 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

5. सीआईएल में खानों का प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण

भूमिगत खान मशीनीकरण:

'भूमिगत कोयला खनन समस्याओं, संभाव्यता, प्रौद्योगिकी, आधुनिकीकरण, उत्पादन एवं सुरक्षा संबंधी अध्ययन' के लिए आईआईटी–आईएसएम (धनबाद), एससीसीएल एवं पीडब्ल्यूसी का परिसंघ नियुक्त किया गया है जिसने सीआईएल की 90 भूमिगत खानों का अध्ययन किया है। अध्ययन की सिफारिशों में भूमिगत कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु पीएसएलडब्ल्यू जैसी व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा सतत खनिकों के प्रयोग पर बल दिया गया है।

उपर्युक्त रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए, एक समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिश के अनुसार पीआर की तैयारी और अनुमोदन का कार्य शुरू हो गया है। सीआईएल ने वर्ष 2023–24 के दौरान 19 खानों में 26 सीएम और 2 खानों में 2 पीएसएलडब्ल्यू को शुरू करने की योजना बनाई है जिनमें से 3 सीएम को 3 खानों में पहले ही विनियोजित कर दिया गया है। इस समय, 11 एवं 2 खानों में क्रमशः 15 सीएम और 2 पीएसएलडब्ल्यू प्रचालन में है।

इसके अतिरिक्त, खान कामगारों के अनउत्पादक यात्रा समय को कम करने के उद्देश्य से अधिकांश भूमिगत खानों में एक मैन–राइडिंग सिस्टम (एमआरएस) प्रचालन में हैं। इस समय, सीआईएल की विभिन्न यूजी खानों में 43 मैन–राइटिंग– सिस्टम (एमआरएस) प्रचालन में हैं जबकि अन्य 33 एमआरएस अनुमोदन और संस्थापना के विभिन्न चरणों में हैं। व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी के साथ प्रस्तावित कुछ भूमिगत खानों के लिए, कामगारों और सामग्री हेतु एक ट्रेकलेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रस्तावित किया गया है। ईसीएल की झांझरा भूमिगत खान में इस समय तीन निःशुल्क–वाहन प्रचालन में है।

ओपन कास्ट खान मशीनीकरण:

- कार्यक्षमता में सुधार करने हेतु सीआईएल ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल किया है। गेवरा विस्तार, दिप्का एवं कुष्मुण्डा ओपन कास्ट खानों में 240 टी रियर डंपर सहित 42 घन मीटर शॉवल जैसी उच्च क्षमता की एचईएमएम शामिल की गई हैं।
- ओपन कास्ट खानों में व्यापक स्तर पर सतही खनिकों की तैनाती की गई है ताकि प्रचालनात्मक क्षमता में सुधार, ग्राहकों की संतुष्टि एवं पर्यावरणीय आवश्यकता को पूरा किया जा सके। वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग 45: कोयला उत्पादन सतही खनिकों के द्वारा किया गया था।
- प्रचालनात्मक क्षमता में आगे सुधार करने हेतु सीआईएल की खानों में इन–पिट क्रशिंग एण्ड कन्वेइंगध्इन–पिट कन्वेंइंग प्रणाली लागू की गई है। जीपीएस आधारित वाहन निगरानी, बूम बैरियर सहित आरएफआईडी निगरानी प्रणाली शुरू की गई है ताकि वाहनों के आवागमन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके जिससे उठाईगिरी के विरूद्ध सुधारात्मक उपाय किए जा सकेंगे।

इसके अतिरिक्त, सीआईएल इंटरप्राइस रिसॉर्स प्लानिंग (ईआरपी) तथा अन्य आईटी समर्थित प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया में है ताकि अपने मानव, वास्तविक एवं वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कर सके जिससे सीआईएल की प्रचालन क्षमता में व्यापक वृद्धि होगी।

सर्वेक्षण कार्य हेतु, सीआईएल ने 3डी ट्रेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर (टीएलएस) जैसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना शुरू कर दिया है।

6. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त रद्द की गईं कोयला खानों का आबंटन

- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द की गईं 204 कोयला खानों का आबंटन अब कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन किया जाता है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, 114 कोयला खानों का सफलतापूर्वक आबंटन किया गया है। इन 114 कोयला खानों में से, 45 कोयला खानों का आबंटन ई–नीलामी के जरिए (निजी कंपनियों को 44 तथा सरकारी कंपनी को 01) किया गया है और 69 कोयला खानों का आबंटन सरकारी कंपनियों को किया गया है।

इन 114 कोयला खानों का क्षेत्रवार आबंटन इस प्रकार है– विनियमित क्षेत्र अर्थात् विद्युत को 50 कोयला खानें, गैर–विनियमित क्षेत्र अर्थात् लोहा और इस्पात, सीमेंट और कैप्टिव विद्युत को 26 कोयला खानें तथा कोयले की बिक्री हेतु 38 कोयला खानें।

- कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 के उपबंधों के अंतर्गत, वर्ष 2020 के दौरान कोयले की बिक्री हेतु 16 कोयला खानों का आवंटन किया गया है।
- अर्कपाल श्रीरामपुर (दक्षिणी भाग) के उत्तरी भाग का आबंटन करने के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को निदेश दिए गए हैं जोकि वर्ष 2020 के दौरान सीएम(एसपी) नियमावली, 2014 के नियम 11(10) के तहत कोयले की बिक्री हेतु सीआईएल की अर्कपाल श्रीरामपुर कोयला खान के उत्तरी भाग का 50: भाग है।

आवंटित 114 कोयला खानों का चित्र नीचे दिया गया है:

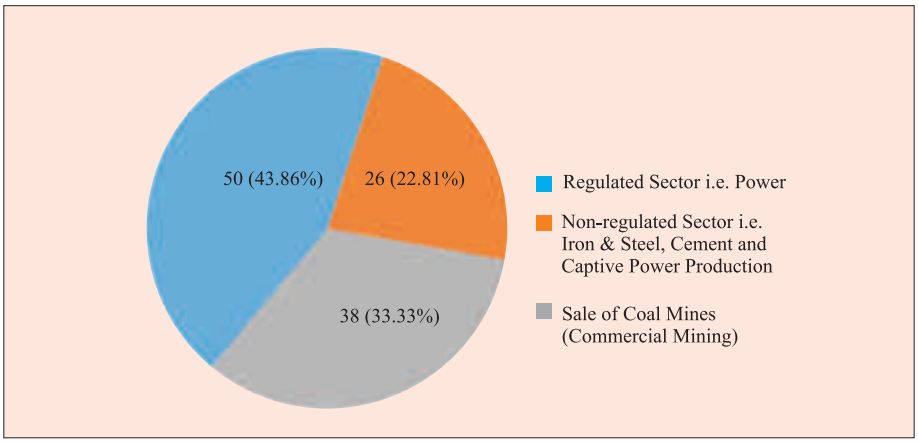

वाणिज्यिक खनन

- उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों के आधार पर, कोयले की बिक्री हेतु कोयला खानों की नीलामी के लिए नीलामी पद्धति का विस्तृत विवरण देते हुए कोयला खानों की नीलामी पर एक चर्चा पत्र दिनांक 31.01.2020 तक स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 14.01.2020 को नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण कार्यालय द्वारा सार्वजनिक डोमेन पर रखा गया था। एचएलसी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार कोयले की बिक्री की नीलामी पद्धति पर विभिन्न बैठकों में इस मंत्रालय में व्यापक रूप से चर्चा की गई थी और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि आवश्यकतानुसार संशोधन करके इन सिफारिशों को स्वीकार किया जा सकता है और चूंकि नीलामी पद्धति और एचएलसी द्वारा प्रस्तावित नीलामी की अन्य शर्तें मौजूदा पद्धति से भिन्न हैं, इसलिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सीसीईए के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तदनुसार, राजस्व शेयरिंग आधार पर कोयले की बिक्री के लिए कोयलेधलिग्नाइट ब्लॉकों की नीलामी हेतु पद्धति को अपनाने पर सीसीईए नोट का एक मसौदा दिनांक 15.02.2020 को अंतर–मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा गया था। परामर्श के बाद, सीसीईए हेतु एक अंतिम नोट तैयार किया गया था और उसे दिनांक 30.04.2020 को मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया था।

- राजस्व शेयरिंग आधार पर कोयले/लिग्नाइट की बिक्री हेतु कोयला और लिग्नाइट खानों/ब्लॉकों की नीलामी की पद्धति तथा कोकिंग कोयला लिंकेज की अवधि को दिनांक 20.05.2020 को अनुमोदित किया गया था और इस संबंध में दिनांक 28.05.2020 को आदेश जारी किया गया था। इस पद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. राजस्व शेयरिंग तंत्र पर आधारित 4% पर न्यूनतम प्रतिशत।

ii. पूर्णतः अन्वेषित और आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला ब्लॉकों के लिए लागू।

iii. अग्रिम राशि अनुमानित भूगौलिक भंडारों के मूल्य पर आधारित होती है।

iv. सफल बोलीदाता को, उदृधृत राजस्व शेयरः पर आधारित मासिक राजस्व शेयर, कोयले की कुल मात्रा और कल्पित या वास्तविक मूल्य, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।

v. कोयले के शीघ्र उत्पादन, गैसीकरण और द्रवीकरण के लिए प्रोत्साहन देना।

vi. सीबीएम के दोहन की अनुमति दी गई है।

vii. कोयले की बिक्री और/अथवा उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कोयला उत्पादन संबंधी कार्यों में अधिक उदारता लाना।

- सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अंतर्गत कोयले की बिक्री के लिए 33 कोयला खानों की ई–नीलामी करने हेतु नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को दिनांक 15.06.2020 को केन्द्रीय सरकार के निदेश जारी किए गए थे। इसके बाद, राज्य सरकारों के अनुरोध पर नीलामी प्रक्रिया से 05 कोयला खानों को निकाल दिया गया था। इसलिए, सीएम(एसपी) अधिनियम के तहत कोयले की बिक्री हेतु नीलामी के लिए 28 कोयला खानों को प्रस्तावित किया गया था। सीएम(एसपी) अधिनियम, 2015 के तहत कोयले की बिक्री हेतु प्रस्तावित 28 कोयला खानों में से, कोयले की बिक्री हेतु 16 कोयला खानों की नीलामी की गई है।

7. एमएमडीआर अधिनियम के अधीन कोयला/ लिग्नाइट ब्लॉकों का आबंटन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत सरकारी कंपनियों (केंद्रीय/राज्य) को 11 कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया गया है। उपर्युक्त 11 कोयला ब्लॉकों में से, अन्त्य उपयोग हेतु 9 तथा वाणिज्यिक खनन हेतु 2 कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है। 11 कोयला ब्लॉकों के मामले में सीबीडीपीए (कोयला ब्लॉक विकास एवं उत्पादन करार) पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। इसके अलावा 100 मि.ट. से अधिक की क्षमता वाली कंपनियां तैयार करने हेतु

सीआईएल/इसकी सहायक कंपनियों को 04 कोयला ब्लॉक आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गुजरात राज्य पीएसयू (अन्त्य उपयोग हेतु 1 तथा लिग्नाइट के वाणिज्यिक खनन/विक्रय हेतु 2) को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत 2 लिग्नाइट ब्लॉकों का आबंटन भी किया गया है। दो लिग्नाइट ब्लॉकों के संबंध में एलबीडीपीए (लिग्नाइट ब्लॉक विकास एवं उत्पादन करार) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

कोयले की बिक्री के लिए नीलामी द्वारा 25 कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी कार्यालय को निदेश जारी किए गए हैं। जिसमें से आज की तारीख तक 3 कोयला ब्लॉकों की नीलामी सफलतापूर्वक हो गई है।

8. गुणवत्ता और थर्ड पार्टी सैंपलिंग– हाल के निर्णय

कोयला गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं (विद्युत कंपनियों) की चिंताओं समाधान करने के लिए थर्ड पार्टी सैंपलिंग प्रक्रिया (एसओपी) बनाई गई थी। लदान केंद्रों पर कोयले की सैंपलिंग एवं परीक्षण के लिए आपूर्तिकर्ता (कोयला कंपनियों), क्रेता (विद्युत कंपनियों) तथा सीआईएमएफआर के बीच त्रि–पक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। क्रेता एवं विक्रेता द्वारा सैंपलिंग एवं कोयला परीक्षण प्रभार समान रूप से वहन किया जाता है।

लिंकेज नीलामी के माध्यम से कोयला प्राप्त करने वाले गैर–विद्युत उपभोक्ताओं तथा विद्युत हेतु विशेष फारवर्ड नीलामी के अंतर्गत विद्युत कंपनियों को आपूर्ति हेतु सैंपलिंग सुविधा को बढ़ाने के लिए क्यूसीआई तथा आईआईटी–आईएसएम को नियुक्त किया गया है। क्यूसीआई तथा आईएसएम दोनों ने सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों तथा उपभोक्ताओं के साथ त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया है।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित शेष श्रेणियों के लिए थर्ड पार्टी सैंपलिंग कवर करने हेतु कोयला कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

1. गैर–विद्युत एफएसए।
2. एसएनए को कोयला आपूर्ति।
3. स्पॉट ई–नीलामी।
4. विशेष स्पॉट नीलामी।
5. विशिष्ट ई–नीलामी।

अब, सभी ई–नीलामी स्कीमों तथा एफएसए के अंतर्गत कोयले के आपूर्ति हेतु उपभोक्ताओं को थर्ड पार्टी गुणवत्ता वैधता उपलब्ध है। यह निर्देश दिया गया है कि विद्युत उपयोगिताएं तथा कोयला कंपनियां गत महीने के दौरान आपूर्ति किए गए कोयले के सभी परिणामों के लिए प्रत्येक माह की 05 तारीख तक (अथवा अवकाश होने की स्थिति में अगले दिन) ग्रेड निर्धारण करेगी।

कोयला गुणवत्ता सुनिश्चित करने, ग्रेड स्लीपेज नियंत्रण करने तथा नामित रेफरी लेबोरेट्रीज द्वारा रेफरी सैंपल के परिणाम घोषित करने हेतु 15 दिन की समय–सीमा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

यूटीटीएएम (खनित कोयले के थर्ड पार्टी आकलन के द्वारा पारदर्शिता को अनलॉक करना) नामक एक ऐप शुरू किया गया है जिसके माध्यम से सभी उपभोक्ता/स्टेकधारक तथा कोयला कंपनियां घोषित ग्रेड, थर्ड पार्टी सैंपल विश्लेषण परिणाम एवं रेफरी विश्लेषण परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

कोल इंडिया लिमिटेड ने सीआईएमएफआर, तथा क्यूसीआई को क्रमशः 546 मि.ट., 73 मि.ट. का नमूना लेने का कार्य सौंपा है तथा सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने सीआईएमएफआर तथा आईआईसीटी को विद्युत क्षेत्र के लिए क्रमशः 54.11 मि.ट. और गैर–विद्युत क्षेत्र के लिए 0.28 मि.ट. का नमूना लेने का कार्य सौंपा है।

सुधार प्रक्रिया के भाग के रूप में और थर्ड पार्टी सैंपलिंग के आधार को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, सीआईएल ने कोयले की गुणवत्ता सैंपलिंग के लिए सीआईएमएफआर और क्यूसीआई के अलावा मान्यता प्राप्त वैश्विक स्तरीय परीक्षण एजेंसियों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं। सीआईएल ने लोडिंग एंड पर एकत्र किए गए कोयला नमूनों के एकत्रण, तैयारी, विश्लेषण और प्रलेखन हेतु वैश्विक स्तरीय थर्ड पार्टी एजेंसियों को सूची में सम्मिलित करने के लिए आरएफपी को आमंत्रित किया है। पहली आरएफपी प्रक्रिया पूरी हो गई है और एक तिहाई पार्टी एजेंसियों को चयनित कर दिया गया है। अतिरिक्त थर्ड पार्टी एजेंसियों को आगे सूची में सम्मिलित

करने हेतु अन्य आरएफपी को भी आमंत्रित कर दिया गया है।

9. कोयला लिंकेजों का युक्तिकरणः

कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2015 में राज्य/केन्द्रीय पीएसयू के विद्युत संयंत्रों के लिए लिंकेज युक्तिकरण हेतु नीति जारी की है। विद्युत क्षेत्र (राज्य/केन्द्रीय पीएसयू) में कोयला लिंकेज के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप खान से विद्युत संयंत्रों तक परिवहन लागत में कमी हुई है तथा कोयला आधारित विद्युत का और अधिक प्रभावी उत्पादन हुआ है। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2018 में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिए लिंकेज युक्तिकरण हेतु नीति जारी की है। अभी तक राज्य/केन्द्रीय पीएसयू के विद्युत संयंत्रों के लिए 72.08 मि.ट. का समग्र यातायात युक्तिकरण हुआ है तथा 4818 करोड़ रूपये की वार्षिक संभावित बचत हुई है। इसके अतिरिक्त, 2 आईपीपी का लिंकेज युक्तिकरण किया गया है तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार अन्त्य उपभोक्ता द्वारा विद्युत लागत में लगभग 118 करोड़ रूपये की अनुमानित बचत होगी।

विद्युत और गैर–विनियामित क्षेत्र (एनआरएस) को कवर करते हुए लिंकेज युक्तिकरण पर वर्ष 2020 में एक नई पद्धति तैयार की गई है और आयातित कोयले के साथ कोयले की स्वैपिंग की भी अनुमति दी गई है।

10. पुराने संयंत्रों की स्क्रैपिंग करते समय और इन्हें नए संयंत्रों के साथ परिवर्तित करके पुराने संयत्रों को प्रदान किए गए कोयला लिंकेज/एलओए का स्वतः अंतरण

पुरानी यूनिटों की स्क्रैपिंग के मामले में पुराने संयंत्रों को नए संयंत्रों के साथ परिवर्तित करके लिंकेज का अंतरण करने संबंधी नीतिगत मुद्दे पर दिनांक 27.06.2014 को आयोजित की गई एसएलसी (एल।) बैठक में चर्चा की गई थी, जिसमें समिति ने सिफारिश की थी कि एमओपी की सिफारिश के आधार पर 13वीं योजना के अंत तक नए संयंत्र प्रभावी रूप से आगे आएंगे और ये 14वीं योजना के लिए स्पिल ओवर भी होंगे, समिति ने पुराने संयंत्रों की स्क्रैपिंग के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

(i) पुराने संयंत्र को प्रदान किए गए एलओए/लिंकेज को निकटतम सुपर क्रिटिकल क्षमता के नए संयंत्र से स्वतः अंतरित किया जाएगा।

(ii) नए सुपर क्रिटिकल संयंत्र की क्षमता पुराने संयंत्र से अधिक होने पर, सीआईएल के बेहतर प्रयास पर कोयले की उपलब्धता के अध्यधीन अतिरिक्त कोयला प्राथमिक रूप से प्रदान किया जा सकता है।

(iii) नए सुपर क्रिटिकल संयंत्र की कम से कम 50% क्षमता को समाप्त करना होगा। प्रस्तावित सुपर क्रिटिकल क्षमता के इस 50% न्यूनतम बेंचमार्क को प्राप्त करने के लिए पुराने संयंत्रों को साथ में मिलाया जा सकता है।

(iv) यह नीति सार्वजनिक क्षेत्र में उस पूर्व–एनसीडीपी संयंत्रों के लिए लागू होगी जिसे पहले ही दीर्घकालिक लिंकेज/एलओए प्रदान कर दिए गए हैं।

(v) उपर्युक्त उल्लेख के अनुसार एलओए के स्वतः अंतरण की अनुमति तभी दी जाएगी जब नए संयत्र को उस राज्य में स्थापित किया जाता है जिस राज्य में पुराना संयंत्र स्थित है तथा पुराना संयंत्र वास्तविक रूप से स्क्रैप होता है। पुराना संयंत्र नए संयंत्र के सीओडी तक प्रचालित होता रहेगा।

तथापि, इसके बाद, केन्द्रीय क्षेत्र से संबंधित तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए मद सं.(अ) को संशोधित किया गया था, नई यूनिट के स्क्रैप से लिंकेज/एलओए के स्वतः अंतरण की अनुमति उस राज्य के बाहर की जाएगी जहां पुरानी यूनिट स्थित है।

11. गैर–विनियमित क्षेत्रों के लिए कोयला लिंकेजों की नीलामी :

- दिनांक 15.02.2016 को कोयला मंत्रालय द्वारा गैर–विनियमित क्षेत्रों को कोयला लिंकेजों के आवंटन हेतु जारी नीतिगत दिशा–निर्देशों के अनुसरण में, सीआईएल स्पांज आयरन, सीपीपी, अन्य (गैर कोकिंग), अन्य (कोकिंग) तथा इस्पात (कोकिंग) उपक्षेत्र को कोयले के आवंटन हेतु लिंकेज की नीलामी करती रही है।
- वर्तमान में, सीआईएल ने लिंकेज की नीलामी चार दौर में पूरी की है, जहां सफल बोलीदाताओं द्वारा लगभग 80.5 एमटीपीए कोयला लिंकेज गैर–विद्युत अधिसूचित मूल्य के लगभग 20% औसत प्रीमियम के साथ बुक किए गए हैं।

- पांचवा दौर चल रहा है, जहां इस्पात (कोकिंग) तथा स्पांज आयरन उप–क्षेत्र के लिए लिकेंज नीलामी पूरी कर ली गई है। इस्पात (कोकिंग) उप–क्षेत्र के अंतर्गत, 1.3 एमटीपीए कोकिंग कोयला लिकेंज बिना किसी प्रीमियम के बुक किया गया था। स्पांज आयरन उप–क्षेत्र के लिए लिकेंज नीलामी में सफल बोलीदाताओं द्वारा लगभग 19: औसत प्रीमियम सहित 4.19 एमटीपीए कोयला लिकेंज बुक किया गया था।

शक्ति के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र को कोयला लिंकेजों की नीलामी

दिनांक 22.05.2017 को कोयला मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी तरीके से भावी कोयला लिंकेजों के आबंटन हेतु एक नई नीति बनाई है। इस नीति का नाम 'भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला प्राप्त करने एवं कोयला स्कीम आबंटन हेतु की योजना' (शक्ति) है। सीसीईए के अनुमोदन के पश्चात, शक्ति नीति, 2017 में संशोधन किया गया है तथा इसे कोयला मंत्रालय द्वारा 25.03.2019 को जारी किया गया है। इस नीति से कई प्रबलित परिसंपत्तियों के समाधान में सकारात्मक योगदान मिलेगा। नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

क. एलओए–एफएसए की पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत–

1. यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि संयंत्र 31.03.2022 तक स्थापित हो जाएंगे, लंबित एलओए धारकों के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर किया जा सकता है।
2. एलओए हेतु 583 लंबित आवेदन बंद कर दिए जाएं।
3. सीसीईए के दिनांक 21.06.2013 के निर्णय के अनुसार कुल 68000 मे.वा. क्षमता के संयंत्रों को 31.03.2017 के पश्चात् भी एसीक्यू का 75% कोयला प्राप्त होना जारी रहेगा।
4. 68000 मे.वा. में से 19000 मे.वा. क्षमता के संयंत्र जो 31.03.2015 तक स्थापित नहीं हो पाए थे, को एसीक्यू के 75% की दर से एफएसए के अंतर्गत कोयला आपूर्ति की अनुमति होगी बशर्ते कि ये संयंत्र 31.03.2022 तक स्थापित हो जाएं।
5. विद्युत संयंत्रों को वास्तविक कोयला आपूर्ति दीर्घकालिक पीपीए पर होगी तथा मध्यकालिक पीपीए भविष्य में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी बोली दिशा–निर्देशों के अनुसार डिस्कॉम्स द्वारा आमंत्रित बोलियों के आधार पर संपन्न किए जाएंगे।

इसके साथ ही, एलओए–एफएसए की पुरानी व्यवस्था अंतिम रूप में आ जाएगी तथा समाप्त हो जाएगी।

ख. विद्युत क्षेत्र के लिए नई अधिक पारदर्शी कोयला आबंटन नीति 2017–शक्ति (भारत में पारदर्शी रुप से कोयला प्राप्त करने और कोयला आबंटन स्कीम) के अंतर्गत निम्नलिखित पर विचार किया गया है:–

1. सीआईएल एससीसीएल विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों पर अधिसूचित मूल्य पर राज्य/केंद्रीय उत्पादक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों को कोयला लिंकेज प्रदान कर सकती हैं।
2. घरेलू कोयला पर आधारित पीपीए वाले आईपीपी को लिंकेजेज परन्तु निम्नलिखित को कोई लिंकेज नहीं:

(क) नीलामी आधार पर जहां बोलीदाता टैरिफ पर छूट उद्धृत करेगा।

(ख) बोली मूल्यांकन मानदंड छूट का नॉन–जीरो लेवल वैल्यू होगा।

3. बगैर पीपीए वाले आईपीपीधविद्युत उत्पादकों को नीलामी के आधार पर लिंकेज दिया जाएगा जहां इसकी पद्धति गैर–विनियमित क्षेत्र के लिए लिंकेज नीलामी के अंतर्गत अपनाई जा रही पद्धति के समान होगी अर्थात् बोलीदाता कोयला कंपनी के अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम की बोली लगाएगा।
4. राज्यों के लिए विवरण के साथ कोयला लिंकेज की उपलब्धता की पूर्व–घोषणा करके नए पीपीए के लिए कोयला लिंकेज भी निर्धारित किए जाएंगे। राज्य ये लिंकेज डिस्कॉम्स/एसडीए को निर्दिष्ट करेंगे।
5. राज्यों के समूह की विद्युत आवश्यकता को एकत्र किया जा सकता है और ऐसी एकत्र विद्युत की खरीद विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट अथवा टैरिफ आधारित बोली के आधार पर ऐसे राज्य द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी के द्वारा की जा सकती है।
6. विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) को पूर्ण नियामक मात्रा के लिए लिंकेज प्रदान किया जाएगा जिसमें विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर टैरिफ के निर्धारण हेतु दिशा–निर्देशों के तहत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा के

माध्यम से केंद्र सरकार की पहल के तहत अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थापना के लिए निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा लिंकेज भी शामिल किया जाएगा।

7. लागत में बचत का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को देते हुए आयातित कोयले पर आधारित पीपीए वाले आईपीपी को कोयला लिंकेज आबंटित करने के लिए कोयला मंत्रालय विद्युत मंत्रालय के परामर्श से एक विस्तृत पारदर्शी बोली प्रक्रिया की पद्धति तैयार करेगा।

8. (क): निजी उत्पादकों सहित विद्युत संयंत्रों, जिनके पास शक्ति नीति के ख (पपप) तथा ख (पअ) के अंतर्गत पीपीए नहीं है, को अल्पकालिक कोयला लिंकेज।

(ख) डिस्काम द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पीपीए समाप्त करने वाले उत्पादक को विद्युत विनिमय पर अल्पकालिक पीपीए के माध्यम से विद्युत ब्रिकी हेतु मौजूदा कोयला लिंकेज का उपयोग करने की अनुमति होगी।

(ग) बिना किसी आग्रह के राज्य समूहों के लिए पैरा ख(अ) के अंतर्गत नोडल एजेंसी द्वारा विद्युत एकीकरण।

(घ) प्रबलित विद्युत परिसम्पतियों के मामले में पीएसयू विद्युत एकीकरण के रूप में कार्य करेगा तथा इसे पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करेगा और उस विद्युत को मौजूदा पीपीए के अनुसार डिस्काम को प्रस्तावित करेगा।

(ड.) जहां ख (अपपप) (क)(ख)(ग) तथा (घ) के प्रावधानों का उपयोग किया गया है, वहां ऐसे मामलों में प्रचालनात्मक व्यय को पूरा करने के पश्चात् प्राप्त निवल राशि का उपयोग सर्वप्रथम पूर्णतः ऋण उतारने हेतु किया जाएगा।

शक्ति कार्यान्वयन की स्थितिः

- क (i): 7210 मे.वा. की कुल क्षमता सहित 10 तापीय संयंत्रों के लिए हस्ताक्षर करने हेतु मंजूरी दे दी गई है।
- ख(i): कुल 25340 मे.वा. क्षमता के लिए 23 तापीय विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए लिंकेज प्रदान किया गया है।
- ख(ii): शक्ति नीति के ख(ii) के अंतर्गत प्रथम दौर की लिंकेज नीलामी सितम्बर, 2017 में कराई गई थी जिसमें दस सफल बोलीदाताओं द्वारा लगभग 9,045 मे.वा. क्षमता के लिए 27.18 मिलियन टन का वार्षिक कोयला लिंकेज बुक किया गया था। दूसरे दौर की ख(ii) नीलामी सीआईएल द्वारा 24.05.2019 को करायी गई थी। इस दूसरे दौर में आठ बोलीदाताओं द्वारा लगभग 874.9 मे.वा. क्षमता के लिए 2.97 मि.ट. का वार्षिक कोयला लिंकेज बुक किया गया था। मई, 2020 के दौरान पीएफसीसीएल द्वारा नीलामी की गई है। 05 सफल बोलीदाताओं द्वारा 2.8 एमटीपीए लिंकेजों को बुक किया गया है।
- ख (iii): शक्ति ख के लिए लिंकेज नीलामी (iii) फरवरी, 2020 में दीर्घकालिकध्म/यमकालिक नीलामी की गई थी। कुल 11.8 एमटीपीए के प्रस्ताव में से, 7 सफल बोलीदाताओं द्वारा 6.5 एमटीपीए लिंकेज को बुक किया गया था। औसत प्रीमियम 8.5% बढ़ गया था।
- ख (iv): सीआईएल से गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को क्रमशः 4000 मे.वा., 1600 मे.वा. तथा 2640 मे.वा. क्षमता के लिए कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है।
- ख (v): सीआईएल से 2500 मे.वा. क्षमता के लिए कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है।
- ख (viii) (क): दिनांक 19.03.2020 को अप्रैल–जून, 2020 के लिए नीलामी पूरी की गई थी। सीआईएल द्वारा प्रस्तावित 5.77 मि.ट. कोयले में से, 9 सफल बोलीदाताओं द्वारा अधिसूचित मूल्य पर 1.34 मि.ट. लिकेंज को बुक किया गया था।
- दिनांक 13.07.2020 को जुलाई–सितंबर, 2020 के लिए नीलामी पूरी हो गई थी। सीआईएल द्वारा प्रस्तावित 4.9 एलएमटी में से, 8 सफल बोलीदाताओं द्वारा अधिसूचित मूल्य पर 0.63 मि.ट. कोयले को बुक किया गया था।
- अक्तूबर–दिसंबर, 2020 के लिए नीलामी दिनांक 15.09.2020 को पूरी हो गई है। सीआईएल द्वारा प्रस्तावित 5.89 मि.ट. लिंकेज में से, 6 सफल बोलीदाताओं द्वारा अधिसूचित मूल्य पर 0.35 मि.ट. कोयले को बुक किया गया है।

- जनवरी–मार्च, 2021 के लिए नीलामी दिनांक 21.12.2020 को पूरी हो गई है। सीआईएल द्वारा प्रस्तावित 5.97 मि.ट. में से, 7 सफल बोलीदाताओं द्वारा अधिसूचति मूल्य पर 0.64 मि.ट. कोयले को बुक किया गया है।

12. ब्रिज लिंकेज संबंधी नीति

केंद्र तथा राज्यों के ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत तथा गैर–विद्युत दोनों क्षेत्रों में) के विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग संयंत्रों को 'ब्रिज लिंकेज' प्रदान करने संबंधी नीतिगत दिशा–निर्देश सभी संबंधितों को परिचालित कर दिए गए हैं जिन्हें कोयला खान/ब्लाक आबंटित किये गए हैं। 'ब्रिज लिंकेज' केंद्र तथा राज्य पीएसयू के विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग वाले संयंत्रों की कोयला आवश्यकता तथा एमएमडीआर अधिनियम के अधीन आबंटित अनुसूची–।।। कोयला खानों से कोयले का उत्पादन शुरू होने के बीच के अंतर को पाटने के लिए अल्पावधिक लिंकेज के रूप में कार्य करेगा। अब तक, केन्द्रीयध्राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 37 तापीय विद्युत संयंत्रों को ब्रिज लिंकेज प्रदान किए गए हैं।

और, एसएलसी (एलटी) ने वित्त वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 (31 दिसंबर, 2020 तक) के दौरान अपनी विभिन्न बैठकों में केन्द्रीय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 21 तापीय विद्युत संयंत्रों के ब्रिज लिंकेज को बढ़ा दिया है।

13. कोयले की धुलाई पर बलः

इस्पात क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए, देश में कोकिंग कोयले के संवर्धन की तत्काल आवश्यकता और अनिवार्यता है। देश में धातु संबंधी कोयले के संसाधनों की कम उपलब्धता के कारण, इस्पात क्षेत्र की मांग को उत्तम गुणवत्ता वाले आयातित कोकिंग कोयले के लिए धुले हुए कोकिंग कोयले के मिश्रित अनुपात को बढ़ाने हेतु आर्थिक रूप से व्यवहार्य रूप में विभिन्न लक्षित राख पर उच्च राख कोकिंग कोयले की धुलाई द्वारा आंशिक रूप से पूरा किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप देश के आयात में कमी आई है।

वॉश्ड कोयला उत्पादन के संवर्धन के लिए, सीआईएल ने मौजूदा वॉशरियों के नवीकरण के अलावा उन नई वॉशरियों की व्यवस्था की है जो पहले से ही चालू है। इस समय, सीआईएल के पास 34.63 एमटीवाई की कुल क्षमता वाली 12 कोल वॉशरी हैं। 12 कोल वॉशरियों में से, 10 कोकिंग कोल (पिछले 2 वर्षों में शुरू की गई 2 नाई वॉशरियों सहित) हैं जबकि 26.63 एमटीवाई और 11 एमटीवाई की कुल क्षमता वाली क्रमशः 2 नॉ–कोकिंग कोल वॉशरी हैं। अधिकांश मौजूदा वॉशरी बहुत पुरानी हैं और कम क्षमता के कारण उनकी उपयोगिता की अवधि समाप्त हो रही है। मौजूदा वॉशरियों की प्रचालनरत क्षमता को बढ़ाने के लिए, सीआईएल ने 5 पुरानी कोकिंग कोयला वॉशरियों का व्यापक रूप से रख–रखाव करने और उनका नवीकरण करने की योजना बनाई है।

कोयले की धुलाई को आगे और बढ़ाने के लिए, सीआईएल में 12 नई आगामी वॉशरी परियोजनाएं हैं, जिनका कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। आगामी 12 वॉशरियों में से, 9 कोकिंग कोल और 3 नॉन–कोकिंग कोल वॉशरी हैं। 04 वॉशरी निर्माणाधीन हैं, 4 वाशरियों को सांविधिक मंजूरी दी जानी है, 1 वॉशरी की निविदा की जानी है और 3 वॉशरी पर चरण–।। में विचार किया जा रहा है।

अस्वीकृत निस्तारण उपयोगः

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 04.04.18 के का.ज्ञा.सं.सीसीएनटी–43016/1/2018–सीसीएसडी द्वारा निम्नलिखित के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की गई थीः

- नीचे दी गई उस अस्वीकृत वॉशरी के जीसीवी के लिए एक थ्रेसहोल्ड को फीक्स किया जाए जिसकी अस्वीकृति का कोई बाजार मूल्य नहीं होता और जिसका निस्तारण गलत उपयोग किए बिना माइन वॉइड में किया जा सके
- माइन वॉइड और/अथवा अन्य निचले क्षेत्रों में पर्यावरणीय संधारणीय रूप में थ्रोअवे अस्वीकृति के निस्तारण हेतु एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना
- थ्रोअवे अस्वीकृति के निस्तारण हेतु एक पर्यवेक्षण/निगरानी तंत्र का प्रारूप तैयार करना।

उक्त समिति ने 'अपने कैलोरी मान, माइन वॉइड/निचले क्षेत्रों में निस्तारण एवं निगरानी तंत्र के संदर्भ में अस्वीकृत थ्रोअवे कोयला वॉशरी को परिभाषित करना' नामक शीर्षक पर एक रिपोर्ट तैयार कर ली है और यह रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को भेज दी गई है।

14. आग, धंसाव तथा पुनर्वास क्षेत्रों के समाधान के लिए मास्टर प्लान

भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12.8.2009 को आग, धंसाव एवं जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों के पुनर्वास से संबंधित मास्टर योजना का अनुमोदन किया गया था। अनुमोदित मास्टर योजना के अनुसार झरिया कोलफील्ड (जेसीएफ) में कार्यान्वयन की समय–सीमा 12 वर्ष है जिसमें कार्यान्वयन पूर्व–कार्यकलापों के लिए अवधि दो वर्ष है तथा रानीगंज कोलफील्ड (आरसीएफ) के लिए अवधि 10 वर्ष है। जेसीएफ के लिए मास्टर योजना कार्यान्वयन अवधि समाप्त होने वाली है तथा आरसीएफ के लिए यह समाप्त हो चुकी है।

19वें एचपीसीसी के निर्देशों के अनुसार, ईसीएल द्वारा सीएमपीडीआई, आर I–I के साथ परामर्श करके और बीसीसीएल द्वारा सीएमपीडीआई आर I–II एवं जेआरडीए के साथ परामर्श करके वैकल्पिक पुनर्वास पैकेज, समय एवं लागत सहित एक व्यापक संशोधित मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया है।

दोनों व्यापक प्रस्तावों पर एचपीसीसी की 21वीं बैठक में चर्चा की गई थी। एचपीसीसी की 21वीं बैठक के निर्देशों के अनुसार दोनों प्रस्तावों में संशोधन किया जा रहा है।

भारत कोकिंग कोल लि. के लीजहोल्ड में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की संक्षिप्त स्थिति

आग से निपटना: नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद के माध्यम से बीसीसीएल द्वारा कोयला खान आग सर्वेक्षण/अध्ययन शुरू किया गया था ताकि झरिया कोलफील्ड में सतही कोयला आग का वर्णन किया जा सके। वर्ष 2017 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 34 सक्रिय फायर साइट हैं। बीसीसीएल ने इन साइटों में आग से निपटने के लिए कार्रवाई की है। एनआरएससी वर्ष 2020–21 में आग का नया सर्वेक्षण कर रहा है और इसने अक्तूबर, 2020 में एक आंतरिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार कुल 27 सक्रिय फायर साइट हैं। अनुमोदित मास्टर प्लान में यथा–निर्धारित इन साइटों में आग से निपटने के लिए बीसीसीसी द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

पुनर्वास: मास्टर प्लान के अनुसार, 595 साइटों में कुल 54,159 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना था। सीआईएमएफआर, आईएसएम, विज मंत्रा और जेआरडीए ने वर्ष 2020 में 595 साइटों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

'झरिया विहार' बेलघोरिया पुनर्वास टाउनशिप में 6352 घरों का निर्माण किया गया है जिसमें से 2537 गैर–एलटीएच परिवारों (अतिक्रमणकर्ताओं) को प्रभावित क्षेत्र से शिफ्ट कर लिया गया है।

आग से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बीसीसीएल कर्मचारियों को शिफ्ट करने के लिए गैर–कोयलाधारी क्षेत्रों में बीसीसीएल द्वारा 7714 घरों को निर्मित किया गया है और आग एवं धंसाव वाले स्थानों से 4182 परिवारों को इन घरों में शिफ्ट कर दिया गया है। आगे बीसीसीएल द्वारा 8138 इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है जो पूरा होने के विभिन्न चरणों में है।

15. भूमि के पुनरूद्धार के लिए सेटेलाइट निगरानी

संधारणीय विकास के लिए खनिक क्षेत्रों का पुनरूद्धार महत्वपूर्ण है। समुचित पुनरूद्धार पर बल दिया जा रहा है जिसमें तकनीकी तथा जैविक पुनरूद्धार तथा माइन क्लोजर दोनों शामिल है। भूमि पुनरूद्धार हेतु सेटेलाइट निगरानी पर अपेक्षित बल दिया जा रहा है ताकि भूमि पुनरूद्धार की स्थिति की प्रगति का आकलन किया जा सके तथा पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु अपेक्षित निदानात्मक उपाय किए जा सकें।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

सेटेलाइट आंकड़ों के आधार पर भूमि पुनरूद्धार निगरानी दो श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली खानों के लिए की जा रही है:–

(क) 5 एमसीएम (कोयला ओबी) प्रति वर्ष से अधिक उत्पादन करने वाली खानें कम उत्पादन करने वाली खानें कम उत्पादन करने वाली खानें। 5 एमसीएम (कोयला ओबी) प्रति वर्ष से अधिक के अंतर्गत आने वाली खानों/कलस्टर की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है।

(ख) 5 एमसीएम (कोयला ओबी) एमसीएम प्रति

वर्ष से कम उत्पादन करने वाली खानें। 5 एमसीएम (कोयला ओबी) प्रति वर्ष से कम के अंतर्गत आने वाली खानों/कलस्टर की निगरानी 03 वर्ष के अंतराल पर चरणबद्ध तरीके से की जाती है।

वर्ष 2020–21 में, सीआईएल की कुल 111 खानों/कलस्टरों का चयन सेटेलाइट आंकड़ों के आधार पर निगरानी के लिए किया गया था। दिसंबर, 2020 तक, 108 खानों/कलस्टरों के सैटेलाइट डाटा आधारित इमेज विश्लेषण (51(5एमसीएम से अधिक) और 67 (5एमसीएम से कम) पूरा हो गया है।

सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

एमओईएफएण्डसीसी द्वारा निर्धारित पर्यावरण संबंधी मंजूरी की शर्तों में से एक शर्त के अनुपालन में 3 वर्षों में एक के अंतराल पर एससीसीएल की सभी 20 ओपनकास्ट खानों में प्रगतिशील पुनरूद्धार की सैटेलाइट निगरानी की जा रही है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

वर्ष 2020–21 में एनएलसीआईएल की सभी 5 ओपनकास्ट खानों (खान–।, खान–।क, खान–।।, बीएलएमपी, (तालाबीरा) में प्रगतिशील पुनरूद्धार कार्यकलापों की सैटेलाइट निगरानी कर दी गई है।

अन्य नई पहलें

- सीआईएल में पहली बार सर्वेक्षण और मैपिंग अनुप्रयोगों के लिए ड्रोनों को लगाया जा रहा है। दिनांक 28 दिसंबर, 2020 को सीएमपीडीआई को एलआईडीएआर, ऑप्टिकल और थर्मल सेंसरों के साथ लगाए गए प्रथम ड्रोनों का संवितरण किया गया है और इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। सीआईएल खानों में विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोनों को भी प्रस्तावित किया गया है ताकि आउटसोर्स मोड में इनकी उपयोगिता और प्रभावशीलता की जांच की जा सके। एक बार स्थापित हो जाने के बाद, ड्रोन का अनुप्रयोग कोयला खनन अनुप्रयोगों में उत्पादकता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है।
- सीएमपीडीआई ने संविदा, एफएमसी, भावी खनन, प्रापण और वॉशरियों जैसी कोल इंडिया परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए उच्च क्षमता और विन्यास के साथ उच्च क्षमता वाले एमएस परियोजना सर्वर स्थापित किया है। इस समय सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में ऐसी लगभग 587 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है।
- सीएमपीडीआई ने कोल इंडिया तथा इसकी सहायक कंपनियों के प्रयोग के लिए ऑन–लाइन कोयला ब्लॉक सूचना प्रणाली (ओसीबीआईएस) विकसित की है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए इसे प्रस्तुतीकरण हेतु गुगल मैप पर डाला गया है। ओसीबीआईएस में कोयला ब्लॉकों के लेयर, कोलफील्ड्स एवं सीबीएम के संबंध में सूचना शामिल है।
- सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के लिए खान डाटा प्रबंधन प्रणाली (एमडीएमएस) पोर्टल विकसित की गई थी जिसमें सीआईएल द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। पोर्टल की मुख्य विशेषता कोयला परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना है जिसमें पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी), वन मंजूरी(एफ सी), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएण्डआर), वित्तीय मापदंड, एचईएमएम प्रापण, उत्पादन एवं कोयला रख–रखाव संयंत्र (सीएचपी), सीइलो एवं रेलवे साइडिंग्स जैसी अन्य प्रमुख अवसंरचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा इस पोर्टल के माध्यम से पर्यावरणीय मापदंड की भी निगरानी की जा रही है। पोर्टल को कार्यान्वित करके, निगरानी एजेंसियां एकत्र स्रोत से सूचना की पुनर्प्राप्ति के जरिए लाभ उत्पन्न होता है।
- एमडीएमएस पोर्टल के माध्यम से संधारणीय विकास सेल (एसडीसी) के कार्यकलापों की निगरानीः वायु गुणवत्ता प्रबंधन, खान पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के पुनर्स्थापन और कोयला क्षेत्र में बेहतर अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन के संबंध में सीआईएल एवं इसकी सहायक कंपनियों में एसडीसी स्कीमों और कार्यकलापों की निगरानी हेतु एमडीएमएस पोर्टल के तहत इंटरफेस विकसित किया गया है।
- सीएमपीडीआई ने कोयला मंत्रालय के लिए कोल–डेशबोर्ड विकसित किया है जिसमें लगभग 35/75 सुपर परियोजनाओं के संबंध में अन्वेषण, उत्पादन संबंधी आंकड़े, ऑफटेक, एसएण्डटी व्यय, क्रिटिकल

एवं सुपर क्रिटिकल थर्मल संयंत्रों के संबंध में सूचना दी गई है।

- गुणवत्ता सुधार के लिए ईआईएच्ईएमपी हेतु पोर्टलः पीअर्स (सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान), परियोजनाओं के सीआईएल एवं संबंधित सहायक कंपनियों के स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा ईआईए/ईएमपी की पुनरीक्षा करने हेतु एक पोर्टल बनाया गया है।

16. सीआईएल की उत्पादकता मानक की समीक्षा– आउटपुट प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस)

(आंकड़े टन में)

वर्ष	आउटपुट प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस)		
	यूजी	ओसी	समग्र
2019-20 (वास्तविक)	**0.99**	**14.25**	**8.53**
2020-21 (अनन्तिम) अप्रैल'20 – नवंबर'20	**0.91**	**14.47**	**8.10**

17. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के संबंध में नीतिगत पहलें और सुधार उपाय

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां लोक उद्यम विभाग के नवीनतम दिशा–निर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आधार पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व(सीएसआर) के तहत विभिन्न विकास कार्यकलाप कर रही हैं। सीआईएल की सीएसआर नीति के अनुसार वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान निधियों का आबंटन किया गया है जिसके अंतर्गत विगत तीन वित्त वर्ष के औसत निवल लाभ का –2: अथवा गत वर्ष के कोयला उत्पादन का 2 रु. प्रति टन (सीआईएल(मु.) के मामले में सीआईएल के संचित कोयला उत्पादन) के आधार पर आबंटित किया जाता है। सीआईएल बोर्ड ने अक्तूबर, 2020 में सीआईएल की संशोधित सीएसआर नीति को अनुमोदित किया है। संशोधित नीति के अनुसार, सीआईएल (मु.) के सीएसआर बजट की गणना हेतु, केवल उन्हीं सहायक कंपनियों, जिन्हें पिछले वित्त वर्ष् में निवल हानि नहीं हुई थी, में उत्पादन हुआ है।

(आंकड़े करोड़ रु.में)

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान सीआईएल एवं सहायक कंपनियों के लिए सीएसआर बजट एवं व्यय

कंपनी	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21 (**अनन्तिम आंकड़े**)		
	सांविधिक प्रावधान	कुल आवंटन (आगे बढ़ाने सहित)	व्यय	सांविधिक प्रावधान	कुल आवंटन (आगे बढ़ाने सहित)	व्यय	सांविधिक प्रावधान	कुल आवंटन (आगे बढ़ाने सहित)	व्यय	सांविधिक प्रावधान	कुल आवंटन (आगे बढ़ाने सहित)	व्यय (अप्रैल-नवंबर, 2020)
ईसीएल	20.89	28.46	12.69	0.32	16.09	16.46	10.03	16.46	11.48	8.84	16.46	2.31
बीसीसीएल	9.98	25.38	2.74	6.52	29.16	1.43	6.21	10.00	6.01	5.55	7.20	4.33
सीसीएल	54.88	80.49	37.90	45.78	88.37	41.14	42.73	89.75	52.89	46.46	83.32	41.89
डब्ल्यूसीएल	0.00	9.13	7.23	0.00	9.24	4.25	10.64	10.64	9.59	0.00	15.31	2.12
एसईसीएल	93.30	171.04	93.62	81.04	158.46	83.55	66.53	158.76	84.65	79.42	153.63	21.83
एमसीएल	122.85	122.85	267.52	136.36	136.36	167.16	156.50	156.50	165.50	168.44	168.44	48.72
एनसीएल	72.47	72.47	36.59	75.44	111.32	73.57	92.27	130.02	83.33	118.23	164.92	56.48
सीएमपीडीआईएल	0.80	1.50	1.18	1.53	1.42	1.58	3.01	3.00	3.07	4.65	4.65	1.17
सीआईएल (एनईसी सहित)	7.88	110.83	24.31	6.99	113.47	27.33	8.28	207.52	171.32	8.55	137.62	64.96
कुल	**383.05**	**622.15**	**483.78**	**353.98**	**663.89**	**416.47**	**396.20**	**782.65**	**587.84**	**440.14**	**751.55**	**243.81**

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सीएसआर सांविधिक प्रावधान तथा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

चालू वित्त वर्ष के दौरान शुरू किए गए प्रमुख सीएसआर कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं:

1. स्वास्थ्य देखभाल और आपदा प्रबंधन

क. असम के मजौली जिले में पानी की दो एंबुलेंसों के प्रापण हेतु वित्तीय सहायता जो जिला प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है।

ख. सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा कोविड–19 सहायता कोष के लिए निम्नलिखित माध्यम से अंशदानः–

i. मास्क और सेनिटाइजरों का वितरण

ii. पके हुए भोजन और खाद्य राशन का वितरण

iii. एमसीएल द्वारा भुवनेश्वर में 500 बेड वाले कोविड अस्पताल और एसईसीएल द्वारा बिलासपुर और अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ में विशेष कोविड–19 उपचार केन्द्र की स्थापना करना।

ग. राज्य विपदा सहायता निधिध्राधिकरणों को अंशदान

1. पश्चिम बंगाल – ईसीएल की ओर से सीआईएल द्वारा 20.00 करोड़ रू.
2. महाराष्ट्र – डब्ल्यूसीएल की ओर से सीआईएल द्वारा 20.00 करोड़ रू.
3. झारखण्ड – सीसीएल द्वारा 20.00 करोड़ रू.
4. मध्य प्रदेश – एनसीएल द्वारा 20.00 करोड़ रू.
5. छत्तीसगढ़ – एसईसीएल द्वारा 10.00 करोड़ रू.
6. उत्तर प्रदेश – एनसीएल द्वारा 5.00 करोड़ रू.

2. स्वच्छता

क. अक्तूबर, 2020 के दौरान 'स्वच्छता माह' मनाया गया था जिसके दौरान सफाई और स्वच्छता का संदेश देने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए गए थे।

ख. स्वच्छता कार्य योजना के भाग के रूप में स्वच्छता अवसंरचना का सृजन, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) अभियान आदि के लिए सहायता करने जैसे विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं।

3. कौशल विकास

क. सीआईएल की सहायक कंपनियों के कमान क्षेत्रों से 3000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने हेतु पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं टेक्नॉलोजी (सीआईपीईटी) के साथ एक नए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ख. कृषि विज्ञान केन्द्र, तुनिकी गांव, मेडक जिला, तेलंगाना में संसाधकों, प्रशिक्षक और किसानों के आवास के लिए भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने की अनुमति दे दी है।

4. ग्रामीण विकास

क. सीआईएल ने नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए उन्हें सूक्ष्म सिंचाई अवसंरना प्रदान करके योगदान दिया है।

ख. सीआईएल ने प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित मजौलि, असम के लोगों के लिए संधारणीय आजीविका के विकल्पों को बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है।

5. निःशक्त व्यक्तियों का कल्याण

क. एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में स्वच्छ भारत मिशन– ग्रामीण, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निःशक्त और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले सुलभ शौचालय के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है।

6. शिक्षा

क. सीआईएल ने कस्तूरबा बालिका विद्यालय, नई दिल्ली के विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए उपकरण खरीदने हेतु सहायता प्रदान की है।

7. सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों और युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाएं

क सीआईएल ने सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं और उनके परिवार के कल्याण हेतु सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि हेतु 1.00 करोड़ रू./ का अंशदान दिया है।